



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/५११५
दिनांक : 09.01.2022

सेवा में,

प्रो० रूप नारायण,
चीफ वार्डन,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

विषय : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त शासन के पत्र संख्या-66/सत्तर-3-2022-08(20)/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 तक बन्द रखने तथा पठन-पाठन कार्य ऑनलाईन संचालित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासन के संलग्न पत्र के आलोक में मा० कुलपति जी के आदेशानुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों में बढ़ते हुए संक्रमण एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्रावासों को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक बन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


9-1-22
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

01. सचिव कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
02. प्रति-कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. छात्र कल्याण अधिष्ठाता/कुलानुशासक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
06. विश्वविद्यालय, प्रैसप्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
07. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

कुलसचिव

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 08 जनवरी, 2022

विषय:- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-3111/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 28.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सावधानता बरतने के निर्देश दिये गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन-पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जायेगा।

3- उक्त अवधि में पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षाएँ यथावत संचालित होती रहेंगी। कोविड-19 एसओपीओ (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संख्या- 66 (1)/सत्तर-3-2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
- 2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
- 5- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।